संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2022 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से नवें से बारहवें चरण तक काउन्सिलिंग में आवंटन प्राप्त कर प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात काउन्सिलिंग से "Withdrawal" करने हेतु नियम

1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2022 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के Login में "Withdrawal from counseling process" की सुविधा बारहवें चरण से पूर्व के चरण तक उपलब्ध है।
2. बारहवें चरण में "Withdrawal from counseling process" की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेंगी।
3. शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थी की आवंटित सीट निरस्त कर दी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी समस्त ग्रुपों की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
4. नवें से बारहवें चरण में अभ्यर्थी काउन्सिलिंग शिड्यूल (समय–सारणी) में दशार्ये गये दिनों में ही काउन्सिलिंग से "Withdrawal" कर सकेंगे।
5. नवें से बारहवें चरण में प्रथम चरण से आठवें चरण तक के प्रवेशित छात्रों के लिए "Withdrawal" का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
6. "Withdrawal from counseling process" का विकल्प चयन करने की स्थिति में अभ्यर्थी इस वर्ष (सत्र 2022–23) में किसी भी माध्यम से पालीटेक्निक में प्रवेश नहीं ले सकेगा।
7. शुल्क की वापसी अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के समय अंकित किये गये बैंक खाते में ही की जायेगी। किसी अन्य माध्यम/खाते में शुल्क वापसी सम्भव न हो सकेगी।
8. अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये शुल्क (सुरक्षा धनराशि, प्रवेश शुल्क) की वापसी काउन्सिलिंग के बारहवें चरण की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर दिये गये खाते में ही कर दी जायेगी।

(राम रतन)
प्रभारी सचिव
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद
उ० प्र० लखनऊ